


रिपोर्ट तहसीलदार/पेशेकार सरकार

क्रमांक: राजस्व/2025/179

दिनांक : 19/09/2025

महोदय, जांच रिपोर्ट पटवारी एवं भूआभिलेख निरीक्षक अनुसार ग्राम रुपावेडी के वादी/प्रार्थी के राजस्व रिकार्ड में दर्ज त्रुटीपूर्ण इन्द्राज को शुद्धि किया जाना उचित होगा। रिपोर्ट सादर प्रस्तुत है।


तहसीलदार/पेशेकार तहसीलदार
रुपावेडी


आदेश

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड राज0

क्रमांक: राजस्व न्यायालय/2025/294

दिनांक : 25/09/25

वादी/प्रार्थी के ग्राम रुपावेडी के राजस्व रिकार्ड में दर्ज त्रुटीपूर्ण इन्द्राज को तहसीलदार रामपुर की उक्त जांच रिपोर्ट/प्रस्ताव अनुसार प्रस्तावित सारणी के कॉलम 4 में अंकित त्रुटीपूर्ण इन्द्राज को कालम सं. 5 अनुसार दुरुस्त किया जाना स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार रामपुर को आदेशित किया जाता है कि वादी/प्रार्थी के राजस्व रिकार्ड में सारणी के कालम सं. 5 अनुसार इन्द्राज दुरुस्ति कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।


25/9/25
उपखण्ड अधिकारी पिडावा
जिला झालावाड राज0

